

15/05/25

अधिवक्ता अपीलेंट अमुने अपीलेंट एंग उनके
अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से रुक-
रुक कर बार-बार आवे लगेई गईई इसके
बाबजूद न्यायालय समय पर कोई उपाय
नहीं आया लिहाजा पञ्जाबी अदम हाजिरी
अदम पैरवी में धारिज की पाली है। पञ्जाबी
फैसल सुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही
दाखिल हुफ्त हो।